पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-35/2017

थाना कांड संख्या -448 वर्ष-2013 थाना-आरा नवादा जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार पुत्र श्री ददन साव, निवासी गांव- गुंडी सरैया, थाना-बरहरा, जिला-भोजपुर बिहार।

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

==========

एवं

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-10/2017

थाना कांड संख्या -448 वर्ष-2013 थाना-आरा नवादा जिला-भोजपुर से उत्पन्न

==========

सोनू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार पुत्र सतेंद्र सिंह निवासी-जय हिंद कॉलोनी, नाला मोर, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 35/2017 में)

अपीलार्थी/ओं की ओर से : श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

श्री शशि शेखर सिंह, अधिवक्ता

		श्री सदानंद रॉय, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं की ओर से	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

(आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 10/2017 में)

अपीलार्थी/ओं की ओर से	:	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता
		सुश्री प्रिया, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं की ओर से	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973--- धारा 374(2), 389(1)--- भारतीय दंड संहिता--- धाराएं- 302, 364, 120(बी), 392, 34--- भारतीय साक्ष्य अधिनियम--- धारा 65-बी--- परिस्थितिजन्य साक्ष्य--- अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत--- मृतक की हत्या करने के आरोप पर दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ अपील--- अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क कि विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है--- आगे तर्क कि अभियोजन ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को लागू किया है लेकिन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है।

निष्कर्ष: अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है और यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था और तीन दिनों के बाद मृतक का मृत शरीर मिला था और, इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने मृतक की हत्या की होगी --- अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपियों ने 15.12.2013 को मृतक की हत्या की थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु 17.12.2013 को हुई होगी --- उस तारीख से तीन दिनों से अधिक का समय अंतराल है जब अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था --- अभियोजन पक्ष कथित अपराध करने के लिए

आरोपियों की ओर से मकसद को इंगित करने में विफल रहा, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में महत्वपूर्ण है - अभियोजन पक्ष ने सीडीआर के आधार पर अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को फंसाया, लेकिन मृतक का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उचित संदेह से परे मामला स्थापित करने में विफल रहा। अपील स्वीकार की गई। (पैरा-4, 23-25)

(2022) 8 एससीसी 536, (2017) 14 एससीसी 359, (2018) 16 एससीसी 102, (2019) 3 एससीसी 289, (1984) 4 एससीसी 116 .....पर भरोसा किया गया ।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः मानननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा
मौखिक निर्णय
(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः-12-12-2023

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धाराओं- 374 (2) और 389 (1) के तहत दायर ये दोनों अपीलें, श्री योगेश नारायण सिंह, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश IV, भोजपुर, आरा द्वारा एसटी संख्या 150/2014 में दिनांक 15.11.2016 के दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय और दिनांक 18.11.2016 के सजा के आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जो आरा (नवादा) पीएस केस संख्या 448/2013 से

उत्पन्न हुई है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धाराओं- 302, 364, 120 (बी), 392 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ता/आरोपी चंदन कुमार को आजीवन कारावास और धारा 302 और 120(बी) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 364 के तहत सात साल का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना और धारा 392 के तहत पांच साल का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। अपीलकर्ता/अभियुक्त सोनू कुमार को धारा 302 और 120(बी) के तहत आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 364 के साथ पठित 120(बी) के तहत सात साल का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। तथा धारा 392 सहपठित 120(बी) के तहत अपराध के लिए पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को छह माह का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है तथा विचाराधीन अवधि को सजाओं में गिना जाएगा।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:

> "सूचनाकर्ता एक स्कॉर्पियो कार का मालिक है जिसका पंजीयन संख्या बीआर-03 पी-8205 है जिसे गौतम कुमार (मृतक) चला रहा था। दिनांक 14.12.2013 को लगभग 3:30 बजे चालक गौतम कुमार उसके घर आया तथा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ झरखा स्थित रजरप्पा मंदिर में पूजा करने जाने की अनुमति ली तथा आश्वासन दिया कि वह 15.12.2013 तक वापस आ जाएगा। रात्रि 9:30 बजे उसने मालिक को फोन करके बताया कि वह जहानाबाद में है तथा रजरप्पा जा रहा है। दिनांक 15.12.2013 को सूचनाकर्ता ने

चालक गौतम कुमार से संपर्क करने का प्रयास किया जिसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। उसने उसी नंबर पर पुनः प्रयास किया परंतु उससे संपर्क नहीं हो सका। दिनांक 16.12.2013 को उसने गौतम कुमार के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जिन्होंने उसे बताया कि वह दिनांक 15.12.2013 तक वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सूचनाकर्ता को आशंका है कि उसके वाहन में ड्राइवर और उसके साथियों की मिलीभगत से कोई अनहोनी हुई है।"

3. आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 35/2017 में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को श्री शशि शेखर सिंह और श्री सदानंद रॉय की सहायता से सुना गया और आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 10/2017 में अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार सिंह को श्री प्रभात कुमार सिंह और सुश्री प्रिया की सहायता से सुना गया और दोनों अपीलों में प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान अ.लो.अ. श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए विद्वान वकीलों ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को लागू किया है और उसी के आधार पर, हालांकि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों की सजा दर्ज की है और इसलिए, विवादित आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के भाई अभि.सा. 1 कृष्ण कुमार के बयान के अनुसार, आरोपी सोनू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार और संतोष वर्मा मृतक के घर

गए और उसे स्कॉर्पियो कार में अपने साथ रजरप्पा चलने के लिए कहा। हालाँकि, उसके बाद उक्त गवाह को पता चला कि अपीलकर्ता चंदन कुमार भी स्कॉर्पियो कार में मौजूद था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में विरोधाभास है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कार के मालिक यानी अ.सा. 3 मानवेंद्र नारायण सिंह ने अपने ड्राइवर गौतम कुमार उर्फ मिथुन (मृतक) के खिलाफ आईपीसी की धारा-406, 420, 120बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त एफआईआर 17.12.2013 को यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी कि उक्त गवाह यानी मृतक गौतम कुमार का ड्राइवर स्कॉर्पियो कार से रजरप्पा गया था। हालांकि, वह कार लेकर वापस नहीं लौटा और इस तरह उसने कथित अपराध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान यह पता चला कि जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था और इसलिए एक चौकीदार ने विष्णु गढ़ पुलिस स्टेशन को सूचित किया। इसलिए, उक्त शव के संबंध में उक्त पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद, दिनांक 18.12.2013 को संबंधित डॉक्टर अर्थात अ.सा. 7 द्वारा शव का *पोस्टमार्टम* किया गया।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त एफ.आई.आर. की जांच के दौरान, जो अ.सा. 3 द्वारा अपने ड्राइवर (मृतक) के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-406, 420, 120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, यह पता चला कि उक्त ड्राइवर की हत्या वर्तमान अपीलकर्ताओं और एक अन्य आरोपी ने की थी और इसलिए, आई.पी.सी. की धारा-302 जोड़ी गई। हालांकि, गौतम कुमार की हत्या की घटना से अपीलकर्ताओं को जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं है। हालांकि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ताओं और मृतक के मोबाइल फोन की सी.डी.आर. एकत्र की है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65बी के अनुसार उक्त सी.डी.आर. विधिवत साबित नहीं

हुई। यहां तक कि आई.ओ. को सी.डी.आर. निकालने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार और वह भी अभियुक्त चंदन कुमार के इकबालिया बयान के अनुसार अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने मृतक गौतम कुमार उर्फ मिथुन की हत्या 15.12.2023 को की थी। 18.12.2013 को डॉक्टर अ.सा. 7 द्वारा किए गए *पोस्टमार्टम* से पता चला कि मृत्यु का समय उक्त *पोस्टमार्टम* की तिथि से लगभग 12 से 24 घंटे बाद था।

9. इस प्रकार, डॉक्टर के बयान से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष की यह कहानी कि मृतक की हत्या 15.12.2013 को अपीलकर्ताओं द्वारा की गई थी, उक्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि चूंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है, इसलिए अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करके और अलग करके बरी किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, विद्वान अ.लो.अ. ने इन अपीलों का विरोध किया है। मुख्य रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब ये दोनों अपीलकर्ता मृतक के घर गए थे और मृतक से स्कॉर्पियो कार में उनके साथ राजरप्पा चलने का अनुरोध किया था, तब ये दोनों अपीलकर्ता मृतक के साथ देखे गए थे। स्कॉर्पियो कार किराए पर ली गई थी और अगले दिन से मृतक लापता था और यह पाया गया कि उसका मोबाइल फोन बंद था। अपीलकर्ताओं और मृतक के मोबाइल टावर का स्थान एक ही था। जांच अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन की सी.डी.आर. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, उन्हें संबंधित घटना से जोड़ने वाली पर्याप्त सामग्री है और इसलिए, जब अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित कर

दिया है, तो विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि इन दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

11. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है।

12. हमने अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का भी अवलोकन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है तथा अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को रखा है। अभिलेख से यह पता चलता है कि अ.सा. 3, जो स्कॉर्पियो कार का मालिक है, ने अपने चालक गौतम कुमार उर्फ मिथुन (मृतक) के विरुद्ध धारा- 406, 420, 120बी तथा 34 आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय कथित अपराधों के लिए 17.12.2013 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। उक्त एफ.आई.आर. में कहा गया है कि उसका चालक, अभियुक्त गौतम कुमार उर्फ मिथुन 14.12.2013 से कार सहित लापता है। उक्त चालक गौतम कुमार उर्फ मिथुन ने अ.सा. 3 को दूरभाष पर सूचित किया कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ दर्शन के लिए राजरप्पा, झारखंड जा रहा है तथा वह 15.12.2013 को वापस आएगा। इसलिए उन्होंने फोन पर अनुमति दे दी। जब उन्होंने 14.12.2013 की रात 9:30 बजे अपने ड्राइवर गौतम कुमार के मोबाइल फोन पर पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह जहानाबाद में है। हालांकि, जब उन्होंने 15.12.2013 की सुबह फिर से अपने ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की, तो पता चला कि उसका मोबाइल फोन बंद था। इसके बाद, वे 16.12.2013 को खुद अपने ड्राइवर गौतम कुमार के घर गए। इसलिए उन्होंने उक्त एफ.आई.आर. दर्ज कराई है।

13. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि, विद्वान वकीलों ने बताया कि अदालत ने जांच एजेंसी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया और उसके बाद जांच एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त एफ.आई.आर. की जांच के दौरान यह पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जंगल में मिला था और इसलिए एक चौकीदार ने विष्णु गढ़ पुलिस स्टेशन को सूचित किया जहां अज्ञात व्यक्ति की मौत के लिए एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि उक्त पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संबंधित डॉक्टर द्वारा उक्त शव का *पोस्टमार्टम* किया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभि.सा. 7 की जांच की गई है। यह आगे पता चलता है कि उसके बाद आरोपी चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार को 9 जनवरी, 2014 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पुलिस द्वारा उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया और यह पता चला कि इन दोनों अपीलकर्ताओं ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर गौतम कुमार उर्फ मिथुन की हत्या की है और इसलिए, आई.पी.सी. की धारा- 302 जोड़ी गई।

15. अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की थी।

16. अभि.सा. 1 कृष्ण कुमार, जो मृतक गौतम कुमार उर्फ मिथुन का भाई है, ने बयान दिया है कि गौतम कुमार उसका भाई था जो ड्राइवर था। दिनांक 14.12.2013

को लगभग 1:30 से 2:00 बजे अपराह्न जब उसका भाई मिथुन खाना खाने के लिए घर आया, उस समय अभियुक्त सोनू कुमार एवं संतोष शर्मा उसके घर आये और दोनों ने कहा कि वे लोग रजरप्पा जाना चाहते हैं, इसलिए उसका भाई इसके लिए तैयार हो गया। तत्पश्चात उसके भाई ने वाहन मालिक मानवेन्द्र नारायण सिंह से मोबाइल फोन पर बात की और उनसे अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उसका भाई मिथुन, चंदन कुमार एवं संतोष शर्मा के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में चला गया। आगे बताया गया है कि अगले दिन जब उसने अपने भाई से दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया, तो पाया गया कि भाई का मोबाइल फोन बंद है। उक्त साक्षी ने वाहन मालिक से भी पूछताछ की, तो मालिक ने बताया कि लगभग 9:00 बजे रात्रि में मिथुन से उसकी बात हुई थी। उस समय वह जहानाबाद में था। इसके बाद 10 जनवरी 2014 को उक्त गवाह को दरोगा जी से पता चला कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है। मृतक की तस्वीर और कपड़े उसे दिखाए गए और उक्त गवाह ने अपने भाई की पहचान की। उक्त गवाह ने आरोपी सोनू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार और चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार की पहचान की जो अदालत में मौजूद थे।

16.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने बताया कि कार के मालिक ने उसके भाई के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। उक्त एफ.आई.आर. के संबंध में बयान दर्ज किया गया। उसने आगे बताया कि उसने चंदन को पहली बार तब देखा था जब उसका भाई मिथुन घर से निकला था। उस समय उसके भाई ने उसे बताया था कि चंदन उसका दोस्त है और वह टेंपो चालक है।

17. अ.सा.2 कन्हैया कुमार साह भी गौतम कुमार उर्फ मिथुन का भाई है। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसका भाई मानवेन्द्र नारायण सिंह की स्कार्पियो गाड़ी चलाता था। दिनांक 14.12.2013 को 1:00 से 2:00 बजे अपराह्न के बीच सोनू

कुमार और संतोष शर्मा उसके घर आये और गौतम को अपने साथ रजरप्पा दर्शन के लिए चलने को कहा। इस पर उसके भाई ने गाड़ी मालिक को मोबाइल पर रजरप्पा जाने की सूचना दी और उसके बाद उसका भाई अभियुक्तों के साथ चला गया। हालांकि, अगले दिन जब उसने गौतम को फोन करने का प्रयास किया तो उसका फोन बंद था। इस पर वह सोनू के घर गया और उसके भाई के बारे में पूछा। उस समय अभियुक्त सोनू ने बताया कि वह अपने भाई और गाड़ी के बारे में नहीं जानता है। इसलिए वे घर वापस आ गये। उसने आगे कहा है कि दिनांक 16.12.2013 को गाड़ी मालिक उसके घर आया और उसके भाई गौतम उर्फ मिथुन के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उक्त व्यक्ति ने गौतम कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 18.12.2013 को पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। लेकिन उसका भाई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस उसके घर आई और शव की फोटो और कपड़े दिखाए गए।

17.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने भाई के लापता होने की बात कहकर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई है और न ही उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। उन्हें दिनांक 09.01.2014 को पता चला कि उनके भाई की हत्या कर दी गई है।

18. अ. सा. 3 मानवेन्द्र नारायण सिंह स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक हैं तथा उक्त साक्षी ने उनके चालक गौतम कुमार के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 406, 420, 120बी एवं 34 के अन्तर्गत दण्डनीय कथित अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 14.12.2013 को गौतम उर्फ मिथुन, जो उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी का चालक है, लगभग 2:00 से 3:00 बजे अपराह्न में आया तथा कहा कि वह कुछ रिश्तेदारों को दर्शन के लिए राजरप्पा, झारखण्ड ले जाएगा तथा यह भी बताया कि वे अगले दिन वापस आएंगे। उसके आग्रह पर उक्त

साक्षी ने अनुमति दे दी तथा उसके बाद जब उक्त साक्षी ने रात्रि 9:30 बजे पूछताछ की तो मिथुन ने बताया कि वह जहानाबाद में है तथा आगे राजरप्पा जा रहा है। लेकिन 15.12.2013 से मिथुन से मोबाइल पर कोई संपर्क नहीं हुआ और इसलिए 16.12.2013 को वह मिथुन के घर गए और मिथुन और कार के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने 17.12.2013 को एफआईआर दर्ज कराई।

18.1 जिरह के दौरान उसने बताया कि उसने पुलिस को सूचना दी थी और गौतम कुमार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी।

19. अ. सा. 4 सत्येन्द्र कुमार आरा (नवादा) थाने में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने संबंधित एफ.आई.आर. की जांच का कार्यभार संभाला था। हालांकि, कुछ समय बाद उक्त जांच दूसरे अधिकारी को सौंप दी गई।

20. अ. सा. 5 राम चंद्र यादव भी नवादा थाने में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे। उक्त गवाह ने भी जांच का कुछ हिस्सा किया और केस डायरी तथा अन्य जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री के आधार पर उन्होंने आरोपी सोनू कुमार और चंदन कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

21. अ. सा. 6 कुंवर प्रसाद गुप्ता दिनांक 17.12.2013 को आरा (नवादा) में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। उक्त गवाह ने जांच प्रारंभ की तथा जांच के दौरान उसने लापता चालक गौतम कुमार की सी.डी.आर. प्राप्त की तथा गौतम, सोनू एवं संतोष की सी.डी.आर. प्राप्त करने के पश्चात यह पता चला कि उक्त घटना में चंदन नामक व्यक्ति भी शामिल है, अतः सी.डी.आर. के आधार पर 9 जनवरी, 2014 को चंदन को गिरफ्तार किया गया। उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया तथा उसके पश्चात उक्त अभियुक्त को जंगल में ले जाया गया, जहां मृतक गौतम की हत्या कर शव को फेंका गया था। तत्पश्चात यह पता चला कि विष्णु गढ़ थाने में

एफ.आई.आर. संख्या 145/2013 दर्ज है, अतः उक्त एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त की गई तथा शव का फोटोग्राफ भी प्राप्त किया गया। इसके बाद आरोपी चंदन को कॉर्पस वेलफेयर कमेटी ले जाया गया, जहां से मृतक गौतम कुमार के कपड़े प्राप्त किए गए। इसके बाद आरोपियों को उस होटल में ले जाया गया, जहां कुछ आरोपी रुके थे, जहां मैनेजर से प्रिंटेड रसीद और रजिस्टर प्राप्त किया गया।

21.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कहा कि 17.12.2013 के बाद मृतक गौतम के किसी भी परिजन ने कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पास कॉल विवरण निकालने के लिए कोई प्राधिकरण पत्र नहीं है और न ही उसने कॉल विवरण निकालने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है। उसने केस डायरी के पैरा 82 में यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक और समय में अधिलेखन है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने विष्णु गढ़ थाने में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 145/2013 दर्ज कराने वाले व्यक्ति का बयान नहीं लिया है और न ही उसने जंगल में जहां से शव बरामद हुआ था, उस स्थान का कोई *पंचनामा* तैयार किया है। उक्त गवाह ने मृतक का फोटो और कपड़े उपलब्ध कराने वाले पुलिस अधिकारी का बयान भी नहीं लिया है और न ही उसने कॉर्पस वेलफेयर कमेटी के किसी व्यक्ति का बयान लिया है। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने होटल कर्मचारियों या प्रबंधक का बयान भी नहीं लिया है जिसने रजिस्टर और रसीद दी थी।

22. अभि.सा. 7 डॉ. अंगराज सुभाष चंद्रा ने बताया है कि दिनांक 18.12.2013 को वे सदर अस्पताल, हजारीबाग में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उस समय एक अज्ञात व्यक्ति का शव चौकीदार द्वारा भेजा गया था। तत्पश्चात उन्होंने

लगभग 1:00 बजे अपराह्न में *पोस्टमार्टम* करना प्रारंभ किया तथा उन्होंने निम्नांकित अवलोकन किया:

> "1. सभी चार अंगों में कठोरता थी।
>
> 2. नाक के दोनों नथुनों से खून बह रहा था।
>
> **<u>चोटें-</u>**
>
> 3. चोट संख्या (I) दाएं सीने पर 1″ x 3″ के विभिन्न आकारों के साथ कई खरोंचें
> (ii) गर्दन के बाएं हिस्से पर उंगलियों के निशान मौजूद हैं जो गर्दन के बाएं हिस्से से लेकर गर्दन के आकार 2″ तक फैले हुए हैं
>
> (iii) हाइओइड हड्डी का फ्रैक्चर मौजूद है।
>
> (iv) पसलियों का फ्रैक्चर दाएं तरफ नीचे की ओर 3 की संख्या में है।
>
> (v) दाएं तरफ फेफड़े की कटी हुई चोट, आकार 1″ x 1″ x 1/2″ और हेमोथोरैक्स मौजूद है।
>
> (vi) लीवर की कटी हुई चोट दाएं तरफ 1/1″ x 1/2″ x 1″।
>
> **<u>मृत्यु का कारण</u>**- मेरी राय में गला घोंटने और रक्तस्राव और सदमे के कारण।
>
> **<u>मृत्यु में समय</u>**- लगभग 12 से 24 घंटे।
>
> यह रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित है।
>
> 4. यह सत्यापित प्रति बीनूगढ़ पुलिस स्टेशन द्वारा प्रस्तुत की गई है जो मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सत्यापित प्रति है जिस पर आपत्ति प्रदर्श-16 अंकित है।

22.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट प्रदर्श 16 में एफआईआर संख्या के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है और न ही कॉर्पस के नाम का उल्लेख है।

23. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर आधारित

है। यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक गौतम के साथ देखा गया था और तीन दिनों के बाद गौतम का शव मिला था और इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने मृतक की हत्या की होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार के इकबालिया बयान के आधार पर कि उन्होंने मृतक गौतम की हत्या की तथा उसके बाद उसके शव को 15.12.2013 को जंगल में फेंक दिया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। तथापि, यदि अभि.सा. 7 डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि उक्त डॉक्टर ने *पोस्टमार्टम* में विशेष रूप से यह देखा है कि मृत्यु का समय लगभग 12 से 24 घंटे है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त डॉक्टर ने शव का *पोस्टमार्टम* 18.12.2013 को दोपहर 1:00 बजे किया है। और, इसलिए, उक्त विशेषज्ञ के मामले के अनुसार, जिस व्यक्ति का *पोस्टमार्टम* किया गया था, उसकी मृत्यु 12 से 24 घंटे पहले हुई होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शव 17.12.2013 को जंगल से मिला था और, इसलिए, एक चौकीदार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, एफ.आई.आर. संख्या 145/2013 विष्णु गढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार अभियुक्तों ने मृतक गौतम की हत्या 15.12.2013 को की थी, जबकि *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु 17.12.2013 को हुई होगी। इसके अलावा, जिस तारीख को अपीलकर्ता/आरोपी को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था, अर्थात 14.12.2013 और जिस तारीख को शव मिला था, अर्थात 17.12.2013 के बीच तीन दिन से अधिक का समय अंतराल है।

24. यह भी देखना उचित है कि अभियोजन पक्ष कथित अपराध करने के लिए अभियुक्त की ओर से मकसद को इंगित करने में विफल रहा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, मकसद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां तक कि

अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों से स्कॉर्पियो कार भी बरामद नहीं की गई है और जांच के दौरान और उसके बाद भी उक्त स्कॉर्पियो कार नहीं मिली।

25. अभिलेखों से यह पता चलता है कि जांच अधिकारी ने मोबाइल फोन की सी.डी.आर. के आधार पर अपीलकर्ताओं/आरोपियों को फंसाया था। हालांकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मृतक का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ और न ही घटनास्थल से कुछ मिला, यानी वह स्थान जहां से जंगल में शव मिला था। जांच अधिकारी ने एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले व्यक्ति, एफ.आई.आर. दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी और न ही उस होटल के प्रबंधक और अन्य कर्मचारी का बयान दर्ज किया है जिसमें कुछ आरोपियों के ठहरने का आरोप है। यहां तक कि उक्त होटल की सी.सी.टी.वी. फुटेज भी नहीं ली गई। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 बी के अनुसार प्रमाण पत्र भी पेश नहीं किया गया। जांच अधिकारी को सी.डी.आर. पेश करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और न ही उस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित अधिकारी था।

26. मकसद के महत्व को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रवि शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) एवं अन्य, (2022) 8 एससीसी 536** में रिपोर्ट किए गए मामले में पैरा-14 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> **14.** जब हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले से निपटते हैं, जैसा कि पहले कहा गया है, तो मकसद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि, प्रत्यक्षदर्शियों से जुड़े मामले में मकसद महत्वहीन हो सकता है, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को फंसाए जाने पर ऐसा नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा कानून की इस स्थिति पर *तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन [तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन*, 1994 सप (3) एससीसी 367: 1994 एससीसी

(क्रि) 1735] में निम्नलिखित शब्दों में विचार किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 8)

> "8. आम तौर पर, हर आपराधिक कृत्य के पीछे एक मकसद होता है और इसीलिए जांच एजेंसी और साथ ही अदालत आरोपी की मिलीभगत की जांच करते समय यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आरोपी की ओर से विचाराधीन अपराध करने का मकसद क्या था। इस अदालत ने बार-बार यह बताया है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला अदालत के समक्ष पेश की गई सामग्री के आधार पर सभी उचित संदेहों से परे साबित हो गया है, वहां मकसद अपना महत्व खो देता है। लेकिन एक ऐसे मामले में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, आरोपी की ओर से अपराध करने का मकसद अधिक महत्व रखता है। बेशक, अगर अभियोजन पक्ष की ओर से साबित की गई हर परिस्थिति को अदालत द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करने के उद्देश्य से स्वीकार कर लिया जाता है कि यह आरोपी ही था जिसने विचाराधीन अपराध किया, तो ऐसे अपराध के लिए मकसद के सबूत के अभाव में भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन जांच एजेंसी और साथ ही अदालत को यथासंभव यह पता लगाना चाहिए कि आरोपी की ओर से तत्काल प्रेरक मकसद क्या था जिसके कारण उसने विचाराधीन अपराध किया।"

27. इस स्तर पर, हम **अंजन कुमार सरमा एवं अन्य बनाम असम राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जो **(2017) 14 एससीसी 359** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 13, 16 और 21 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> 13. जीत काकाती को धारा 366-ए आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बरी कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने उनकी बरी की पुष्टि की थी। इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान जीत

काकाती की मृत्यु हो गई और उनके द्वारा दायर अपील को समाप्त कर दिया गया। धारा 376(2)(जी) के तहत अपीलकर्ताओं को बरी किए जाने की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी, जिसे चुनौती नहीं दी गई है। हमारे विचारणीय बिंदु यह है कि क्या धारा 302, 201 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया जाना उचित है। उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि विचारण न्यायालय द्वारा बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप अनुचित है, सिवाय तब जब वह विकृति के दोष से ग्रस्त हो (ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [*ब्रह्म स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2011) 6 एससीसी 288: (2011) 2 एससीसी (क्रि) 923], एससीसी पैरा 38 देखें)। विचारण न्यायालय के फैसले में किसी विकृति के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा न तो कोई चर्चा की गई है और न ही कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है। एकमात्र आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को उलट दिया, वह यह है कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं था जिससे अभियुक्त के दोषी होने का अनुमान लगाया जा सके।

16. यह अब कोई नई बात नहीं है कि संदेह कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कभी-कभी अनजाने में यह नैतिक निश्चितता और कानूनी प्रमाण के बीच एक छोटा कदम हो सकता है। कई बार यह "सच हो सकता है" का मामला हो सकता है। लेकिन "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच एक लंबी मानसिक दूरी है और यही अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है। (देखें *जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य* [*जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य,* (1991) 3 एससीसी 27: 1991 एससीसी (क्रि) 527], एससीसी पृष्ठ 37, पैरा 11.)

21. इस न्यायालय ने *भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य* में [*भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (2003) 3 एससीसी 106: 2003 एससीसी (सीआरआइ) 738] ने

माना कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में कोई स्पष्टीकरण देने में आरोपी की विफलता अकेले आरोपी के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वर्तमान मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि आरोपी द्वारा किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में आरोपी के अपराध की धारणा का खंडन नहीं किया गया और इस प्रकार अपीलकर्ता दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे।

28. **रवि एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में, **(2018) 16 एससीसी 102** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 3 और 4 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"3. अपीलकर्ता-अभियुक्त और मृतक, सुमा (अभि.सा. 1) और राम नायक (अभि.सा. 2) के साथ 26-12-2004 को एक साथ थे, सटीक समय दोपहर 1.30 बजे के आसपास था। शव चार (4) दिनों के अंतराल के बाद यानी 30-12-2004 को बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मौत पोस्टमार्टम परीक्षा के समय से 30 घंटे पहले हुई थी। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य इस तथ्य का संकेत देते हैं कि शव 26-12-2004 के दोपहर 1.30 बजे से लगभग दो (2) दिनों के बाद बरामद किया गया था।

4. न्यायालय के सामने यह सवाल है कि क्या उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषसिद्धि कानूनी रूप से टिकाऊ है।"

29. **रीना हजारिका बनाम असम राज्य** के मामले में, **(2019) 3 एससीसी 289** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 9 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आवश्यक तत्व पूर्व उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्थापित हैं और हम उन्हें दोहराना और अनावश्यक रूप से आदेश पर बोझ

डालना आवश्यक नहीं समझते। यह देखना पर्याप्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अभियुक्त के हमलावर होने के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या अनुचित है। किसी मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के बिना केवल अंतिम-देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न कर दे। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियाँ स्वयं पूर्ण नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि घटना किसी अन्य तरीके से घटित हुई होगी, तो जिम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं आएगी, और संदेह का लाभ देना होगा।

30. **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, **(1984) 4 एससीसी 116** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 150 से 160 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"150. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह बचाव की कमजोरी से कोई ताकत नहीं प्राप्त कर सकता है। यह घिसा-पिटा कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में केवल यही माना गया है: जहां एक श्रृंखला में विभिन्न लिंक अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठी दलील या झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता के रूप में बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित करना होगा कि श्रृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन

पक्ष के मामले में कोई दुर्बलता या कमी है, उसे झूठे बचाव या दलील द्वारा ठीक किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

151. उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए मामलों पर चर्चा करने से पहले हम एक आपराधिक मामले में प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एससीआर है। 1091 : (एआईआर 1952 एससी 343)। इस मामले का इस न्यायालय द्वारा आज तक के कई बाद के फैसलों में समान रूप से अनुसरण और अनुप्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एससीसी 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1972 एससी 656 के मामले। महाजन, जे. ने हनुमंत के मामले (एआईआर के पृष्ठ 345-46 पर) (ऊपर) में जो निर्धारित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है:

"यह याद रखना अच्छा है कि ऐसे मामलों में"150. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए या गिरना चाहिए और यह बचाव की कमजोरी से कोई ताकत नहीं प्राप्त कर सकता है। यह घिसा-पिटा कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में केवल यही माना गया है: जहां एक श्रृंखला में विभिन्न लिंक अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठी दलील या झूठे बचाव को केवल अदालत को आश्वासन देने के लिए सहायता के रूप में बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लिंक का उपयोग करने से पहले यह साबित करना होगा कि श्रृंखला में सभी लिंक पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई दुर्बलता या कमी है, उसे झूठे बचाव या दलील द्वारा ठीक किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है जिसे अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

151. उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किए गए मामलों पर चर्चा करने से पहले हम एक आपराधिक मामले में प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एससीआर है। 1091 : (एआईआर 1952 एससी 343)। इस मामले का इस न्यायालय द्वारा आज तक के कई बाद के फैसलों में समान रूप से अनुसरण और अनुप्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एससीसी 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर से, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर रखा जाए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसा होना चाहिए कि यह दिखाया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

152. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' और 'स्थापित हो सकती हैं'

नहीं। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: (एआईआर 1973 एससी 2622) में माना था, जहाँ ये टिप्पणियाँ की गई थीं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी हो सकता है, तभी न्यायालय उसे दोषी ठहरा सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

153. ये पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं।

154. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में सबूत के तरीके के

संबंध में, कॉर्पस डेलिक्टी की अनुपस्थिति में, इसके सबूत के रूप में कानून का कथन ग्रेसन, जे. द्वारा (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई) द किंग बनाम होरी, (1952) एनजेडएलआर 111 में इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

"उसके दोषी ठहराए जाने से पहले, मृत्यु के तथ्य को ऐसी परिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध के किए जाने को नैतिक रूप से निश्चित बनाती हों और उचित संदेह के लिए कोई आधार न छोड़ें: परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने ठोस और सम्मोहक होने चाहिए कि जूरी को यह विश्वास हो जाए कि हत्या के अलावा किसी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना के आधार पर तथ्यों को नहीं समझा जा सकता।"

155. लॉर्ड गोडार्ड ने 'नैतिक रूप से निश्चित' अभिव्यक्ति को 'ऐसी परिस्थितियों से जो अपराध के किए जाने को निश्चित बनाती हों' से थोड़ा संशोधित किया।

156. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत को इंगित करता है कि किसी मामले को तभी साबित कहा जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट सबूत हों और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक विश्वास के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। होरी के मामले (उपरोक्त) को इस न्यायालय ने अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य, (1960) 2 एससीआर 460 में अनुमोदित किया था: (एआईआर 1960 एससी 500)। लागू के मामले और साथ ही हनुमंत के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों का इस न्यायालय के सभी बाद के निर्णयों में बिना किसी अपवाद के समान रूप से और लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों का हवाला देते हैं - तुफैल मामला (1969) 3 एससीसी 198 (उपरोक्त), रामगोपाल का मामला (एआईआर 1972 एससी 656) (उपरोक्त), चंद्रकांत न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य (आपराधिक अपील संख्या 120/1957 19-2-1958 को तय), धर्मबीर सिंह

बनाम पंजाब राज्य (आपराधिक अपील संख्या 98/1958 4-11-1958 को तय)। ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां हालांकि हनुमंत के मामले पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट और दोहराया गया है, जैसे नसीम अहमद बनाम दिल्ली प्रशासन, (1974) 2 एससीआर 694 (696) : (एआईआर 1974 एससी 691 पृष्ठ 693 पर), मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1974 एससी 1144 (1146), शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1981) 2 एससीआर 384 (390) : (एआईआर 1981 एससी 765 पृष्ठ 767 पर) और एमजी अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1963) 2 एससीआर 405 (419) : (एआईआर 1963 एससी 200 पृष्ठ 206 पर) पांच न्यायाधीशों की पीठ का फैसला।

157. यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एससीआर 570 (582) : (एआईआर 1955 एससी 801 पृष्ठ 806) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए बहुत ही सशक्त तर्क प्रस्तुत किया है, ताकि उनके तर्क को पूरक बनाया जा सके कि यदि बचाव पक्ष का मामला झूठा है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी का काम करेगा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रति उचित सम्मान के साथ हम उनके द्वारा उपरोक्त मामले की दी गई व्याख्या से सहमत नहीं हैं, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है:

"लेकिन इस तरह के मामले में, जहां ऊपर बताए गए विभिन्न लिंक संतोषजनक ढंग से स्थापित किए गए हैं और परिस्थितियां उचित निश्चितता के साथ और समय और स्थिति के संबंध में मृतक के निकटता के साथ अपीलकर्ता को संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं... स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।"

158. यह देखा जाएगा कि स्पष्टीकरण के अभाव या झूठे स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने माना कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा पहले कही गई बातों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात, झूठे स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल करने से पहले, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से साबित हो चुकी हैं,

(2) उक्त परिस्थितियाँ उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं, और

(3) परिस्थितियाँ समय और स्थिति के निकट हैं।

159. यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तभी न्यायालय झूठे स्पष्टीकरण या झूठे बचाव को न्यायालय को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है। मामले के इस पहलू की जांच शंकरलाल के मामले में की गई थी (एआईआर 1981 एससी 765) (उपरोक्त) जहां इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"इसके अलावा, बचाव पक्ष की झूठी दलीलें उन तथ्यों के सबूत की जगह नहीं ले सकतीं जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होता है। झूठी दलील को सबसे अच्छी तरह से एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती हैं।"

160. इसलिए, इस न्यायालय ने हनुमंत के मामले (एआईआर 1952 एससी 343) (उपरोक्त) में निर्धारित पांच शर्तों से किसी भी तरह से

> विचलन नहीं किया है। दुर्भाग्य से, हालांकि, उच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय को गलत समझा है और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथाकथित झूठे बचाव को श्रृंखला से जुड़ी अतिरिक्त परिस्थितियों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया है। परिस्थितियों की एक अधूरी श्रृंखला और एक परिस्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो श्रृंखला पूरी होने के बाद, केवल न्यायालय के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए इसमें जोड़ी जाती है। जब अभियोजन पक्ष हनुमंत के मामले में निर्धारित किसी भी आवश्यक सिद्धांत को साबित करने में असमर्थ है, तो उच्च न्यायालय झूठे बचाव या झूठी दलील का सहारा लेकर या उसका सहारा लेकर कमजोरी या कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए, हम अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के साक्ष्य की सराहना की जाए, तो हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

32. तदनुसार, आरा नवादा पी.एस. केस संख्या 448/2013 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 150/2014 के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IV, भोजपुर, आरा द्वारा पारित दिनांक 15.11.2016 को दोषसिद्धि का विवादित निर्णय तथा दिनांक 18.11.2016 को सजा का आदेश रद्द किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता अर्थात् सोनू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार तथा चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

32.1 चूंकि अपीलकर्ता अर्थात् सोनू कुमार उर्फ प्रकाश कुमार आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 10/2017 में जमानत पर है। उसे जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता अर्थात् चंदन कुमार उर्फ चंद्रन कुमार आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 35/2017 में जेल में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

33. दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायमूर्ति)

के.सी. झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।